ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-6* September-2021
Anthology : The Research

# क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता: एक विश्लेषण

# The need for Protection and Promotion of Regional Languages: An Analysis

Paper Submission: 10/09/2021, Date of Acceptance: 25/09/2021, Date of Publication: 26/09//2021

**अन्जनी कुमार**
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय महाविद्यालय
कप्तानगंज, बस्ती,
उत्तर प्रदेश, भारत

## सारांश / Abstract

किसी भी समाज की सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसके रहन सहन की पहचान भाषा के माध्यम से होती है। भाषा समाज के सांस्कृतिक पहलू का एक आवश्यक तत्व है । किसी क्षेत्र की मातृभाषा ही उस देश की सांस्कृतिक विशेषताओं की जड़ है । भाषा व्यक्ति और समाज की पहचान का एक महत्वपूर्ण घटक और उसकी संस्कृति की सजीव संवाहिका होती है । उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में क्षेत्रीय भाषाओं पर विलुप्तीकरण का खतरा मंडरा रहा है । आर्थिक विकास के इस दौर में वक्त पर ध्यान न दिए जाने के कारण लगभग 400 भाषाओं पर विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है । प्रस्तुत शोध पत्र में क्षेत्रीय भाषाओं की महत्ता एवं उनके संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है ।

The civilization and culture of any society and its way of life are identified through language. Language is an essential element of the cultural aspect of the society. The mother tongue of a region is the root of the cultural characteristics of that country. Language is the identity of the individual and society. regional languages are facing the threat of extinction in this era of liberalization and globalization In the present research paper, the importance of regional languages and the need for their protection and promotion has been highlighted.

**मुख्य शब्द:** संरक्षण (Protection), संवर्धन (Promotion), स्व-संस्कृतिकरण (Inculturation), परसंस्कृतिकरण (Acculturation), आत्मसातीकरण (Assimilation), विलुप्त (Extinct), भाषाई विविधता (Linguistic diversity).
Protection, Promotion, Inculturation, Acculturation, Assimilation, Extinct, Linguistic Diversity

## प्रस्तावना

भारत में भाषाई विविधता विद्यमान है । बहुभाषावाद भारत में जीवन का मार्ग है । देश में जो विभिन्न भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं वे हमारी संस्कृति, सभ्यता, उदात्त परंपराओं, उत्कृष्ट ज्ञान और विपुल साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ वैचारिक नवसृजन हेतु भी भाषाओं की विविधता परम आवश्यक है । हमारे देश में विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध लिखित साहित्य की अपेक्षा बहुत सारा ज्ञान मौखिक रूप से कहावतों, लोकोक्तियों आदि के रूप में उपलब्ध है। भारत के संविधान में आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा की मान्यता प्रदान की है । भारत के लोगों के भाषाई सर्वेक्षण-2010 में 780 भाषाओं की पहचान की गई है । जिनमें से पिछले 50 सालों में 50 भाषाएं विलुप्त हो चुकी है । इसके अतिरिक्त 600 भाषाओं के खत्म होने की प्रक्रिया गतिमान है । 1961 की जनगणना में 1652 भाषा रिकॉर्ड की गई थी । 1971 की जनगणना में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसी भाषा जो 10000 से कम लोगों द्वारा बोली जाती है, उसे इस सूची से बाहर किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप 108 भाषा ही इस सूची में दर्ज की जा सकी । 1991 तथा 2001 की जनगणना में भी इसी नीति के कारण 122 से कम भाषा ही दर्ज की जा सकी । 1991 तथा 2001 की जनगणना में भी इसी नीति के कारण 122 से कम भाषा ही दर्ज की जा सकी ।

### अध्ययन के उद्देश्य

1. भाषाई विविधता का अध्ययन करना।
2. क्षेत्रीय भाषाओं की विलुप्त के कारणों की विवेचना करना।
3. क्षेत्रीय भाषाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करना।
4. देश के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका का अध्ययन करना।

### अध्ययन की आवश्यकता

हमारे देश में आर्थिक विकास अन्य कई नकारात्मक प्रभाव के साथ साथ कई क्षेत्रीय भाषाओं की भी बलि ले रहा है । सबसे ज्यादा छोटे-छोटे आदिवासी समुदाय की भाषा पर खतरा मंडरा रहा है जैसे, अंडमान एवं निकोबार दीप समूह की जनजातियां जारवा, ग्रेटअंडमान (इस भाषा को अका जेरू या जेरू भी कहते हैं) इस भाषा को बोलने वाले अब सिर्फ 5 लोग ही बचे हैं । सेंटनलीज भाषा अब दम तोड़ने के कगार पर है, इसको बोलने वालों की संख्या 50 से भी कम बची हुई है । यूनेस्को का कहना है कि ओंगे भाषा को बोलने वाले लोगों की वास्तविक संख्या 50 से कम ही है, जबकि आंकड़ा 50 माना जाता है । ग्रेट निकोबार दीप में रहने वाले और शैंपेन भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या भी 100 के ही आसपास मानी जाती है । लोमोंगीज, ताराओ भाषा एवं पुरूम भाषा भारत के मणिपुर राज्य में बोली जाती है । 2001 की जनगणना के अनुसार अब ताराओ भाषा सिर्फ 870

लोग एवं पुरूम भाषा 503 लोग ही बोलते है l अरुणाचल प्रदेश के तंगम गाँव में तंगम भाषा बोली जाती है l इस भाषा को बोलने वालों की संख्या अब लगभग 100 के आसपास है l इसी तरह सुबनसीरी नदी के तट के आस पास बोली जाने वाली म्रा भाषा का भी हाल है, जिसे बोलने वालों की संख्या लगभग 350 है l चीन से लगने वाले अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती कुछ गांव में 'ना' भाषा भी बोली जाती है l इस भाषा को बोलने वाले लोग सिमटकर लगभग 350 ही बचे हैं l असम के तिनसुकिया जिले में बोली जाने वाली 'ताई नोरा' (खामयांग) भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 100 है l इसी तरह 'ताईरोंक' भाषा बोलने वाले लोग भी लगभग 100 की संख्या में है l इस तरह कई ऐसी क्षेत्रीय भाषाएं हैं,जिन्हें अभी तक लिपि बंद नहीं किया गया है l वह केवल मौखिक रूप से बोली जाती हैं l गोंडी भाषा भी 6 राज्यों के लगभग 1.2 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है लेकिन लिपिबद्ध नहीं है इसीलिए ऐसी भाषाओं के विलुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है l अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की 'बो' भाषा अपने 7000 वर्षों के इतिहास के साथ अपने अंतिम वक्ता के मृत्यु के साथ खत्म हो गई l हाल के वर्षों में भाषा विविधता खतरे में है क्योंकि इसे बोलने वाले वक्ता दुर्लभ होते जा रहे हैं, कारण यह है कि वे इसे छोड़कर प्रमुख भाषाओं को अपना रहे हैं l

भारत में जनजातीय समुदाय की अपनी सांस्कृतिक पहचान है l आदिवासी समुदाय की समस्याओं को समझने के लिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो उनकी समस्याओं को उन्हीं की भाषा में सुने l आदिवासियों तक पहुंचने में सरकार को अक्सर भाषा की समस्याओं से गुजरना पड़ता है l उनकी क्षेत्रीय भाषाओं की समझ ना होने के कारण हम उनकी जरूरतों,समस्याओं,अपेक्षाओं की वास्तविकता को यथोचित ढंग से नहीं समझ सकते हैं l

**क्षेत्रीय भाषाओं की विलुप्ति का कारण**

आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में क्षेत्रीय भाषाओं की सहभागिता लगभग न के बराबर है l इस कारण क्षेत्रीय भाषाएं अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं क्योंकि आधुनिक समाज में उपयोगिता के आधार पर ही संस्कृति के तत्वों का मूल्य निर्धारित किया जाता है l पलायन भी एक कारण है क्योंकि औद्योगिक समाज में जीविकोपार्जन के उद्देश्य से सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले समूह जैसे जनजातीय समाज और क्षेत्रीय समूह नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं और नगरीय संस्कृति के तत्वों को आत्मसात कर लेते हैं जिससे उनकी अपनी संस्कृति के तत्वों जैसे भाषा आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है l क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की विलुप्ति का एक कारण यह भी है कि जनजातीय समाज की जनसंख्या में निरंतर कमी आ रही है l जनजातीय समाजों का शिक्षित समूह नगरीय संस्कृति का भाग बन जाता है l नवीन पीढ़ी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा की जाती है जिसके कारण पुरानी पीढ़ी की मृत्यु के साथ ही क्षेत्रीय भाषाएं नष्ट हो जाती हैं l अंग्रेजी शिक्षा का विकल्प भी क्षेत्रीय भाषाओं को नष्ट कर रहा है l वैश्वीकरण, उदारीकरण, और आधुनिकीकरण के इस दौर में अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विद्यमान है जिसके कारण क्षेत्रीय भाषाओं की उपयोगिता कम होने से इन भाषाओं के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है l

आज के दौर में लोगों के जीवन में तकनीकी का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट जीवन का हिस्सा बन चुका है l समस्या यह है कि डिजिटल विश्व में क्षेत्रीय और आदिवासी भाषाओं का स्थान नगण्य है l कुछ गिने-चुने भाषाओं में ही इसका लाभ मिल पा रहा है l लोग विकास की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं इसीलिए उस भाषा को ज्यादा तवज्जो देते हैं जो उन्हें तकनीकी रूप से फायदा पहुंचा सके l इस वजह से क्षेत्रीय भाषाओं को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है l यद्यपि भारत सरकार ने जुलाई 2017 से बेचे जाने वाले सभी मोबाइल में भारतीय भाषाओं की सुविधा को अनिवार्य कर दिया है l सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन, व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति में वृद्धि, समुदाय के हित से ऊपर स्वयं के हित को प्राथमिकता दिया जाना आदि भाषाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। भौतिकवादी और तथाकथित आधुनिकता की प्रवृत्ति का पारंपरिक समुदायों में अतिक्रमण, जिसके कारण आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य प्रभावित होते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के नष्ट होने का एक कारण है।

**क्षेत्रीय भाषाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण की आवश्यकता**

भारतीय संस्कृति हमारी भाषाओं में ही समाहित है l भाषाएं अनिवार्य रूप से हमारी कला और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं l किसी भी समाज एवं सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए भाषा महत्वपूर्ण साधन है l भाषा प्रतीक है, कोई भी समाज कैसा है, उसमें रहने वाले लोग अपने अनुभव को कैसे समझते हैं, दूसरे के अनुभवों को कैसे ग्रहण करते हैं यह उस समाज की भाषा की संरचना से ही तय होता है l विभिन्न भाषाएं इस विश्व को विभिन्न तरीके से देखती हैं l सामाजीकरण की प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक व्यक्ति जैविक जीव से सामाजिक जीव के रूप में परिवर्तित होता है, भाषा के माध्यम से संभव होती है l भाषा के माध्यम से ही स्व संस्कृतिकरण (अपनी संस्कृति के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया) पर-संस्कृतिकरण ( दूसरे संस्कृति के मूल्य एवं प्रतिमानों को समझने की प्रक्रिया एवं सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ) सांस्कृतिक एकीकरण (भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता बनाए रखते हुए सह-अस्तित्व) की प्रक्रिया संपन्न होती है l भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के बिना आत्मसार्तीकरण की प्रक्रिया प्रभावी हो जाएगी जिससे सांस्कृतिक विविधता के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जाएगा l यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है l वे भाषाएं विशेषकर जिनकी लिपि नहीं है, वे विलुप्त होने के कगार पर हैं क्योंकि जब किसी समुदाय या जनजाति की भाषा को बोलने वाले वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु होती है तो उसी के साथ वह भाषा भी समाप्त हो जाती है क्योंकि इस प्रकार की भाषाओं को संरक्षित करने का अभी तक कोई माध्यम स्वरूप नहीं ले सका है l उच्चतर शिक्षा संस्थानों में और उसके कार्यक्रमों में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग करना चाहिए और इसे द्विभाषित कार्यक्रम के रूप में चलाया जाना चाहिए l

**क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जाने वाले प्रयास**

शिक्षा व्यवस्था में मातृभाषा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए l इस कार्य हेतु व्यक्ति, समुदाय, समाज और सरकारों को एकीकृत रूप से विशेष प्रयास करने होंगे l सभी शासकीय एवं न्यायिक कार्यों में क्षेत्रीय भाषा को भी स्थान देना होगा l इसी प्रकार नियुक्तियों एवं पदोन्नति में भी अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देने का चलन समाप्त करना होगा और उसकी जगह भारतीय भाषाओं को भी प्राथमिकता देनी होगी l समुदायों एवं समस्त समाज को अपने दैनिक वार्तालाप में क्षेत्रीय भाषाओं को जगह देनी होगी एवं दिनचर्या में दैनंदिनी लेखन को शुरू करना होगा l उनकी भाषा एवं साहित्य के साहित्यिक लेखन, पठन-पाठन को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है l नाटकों, संगीत और लोक कलाओं को प्रोत्साहन देने की परंपरा विकसित करनी होगी l केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों और नागरिक संस्थाओं सभी को भारतीय भाषाओं, लिपियों, बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विशेष प्रयास करने होंगे l जनसंचार माध्यमों, शिक्षा संस्थाओं और प्रबुद्ध वर्ग से यह अपेक्षा आवश्यक है कि वह इस महान कार्य में निरंतर प्रयास करें l

**निष्कर्ष**

अतुल्य भारत की संकल्पना, जो भारत के पर्यटन क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाती है उसे पूरा करने के लिए भारतीय भाषा और संस्कृति का संवर्धन विशेष रूप से आवश्यक है l भारत की भाषाई संपदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार देश की उच्च प्राथमिकता में होना चाहिए क्योंकि यह सांस्कृतिक पहचान के साथ-साथ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है l भारत की सांस्कृतिक समृद्धता को भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही जाना जा सकता है l नई शिक्षा नीति में शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा जिसमें जन भागीदारी आवश्यक होगी l भारत के संविधान में आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए एकल अकादमी अवश्य स्थापित करने की आवश्यकता है l भाषाओं के नवीनतम शब्दकोश बनाए जाने आवश्यक हैं l भारतीय भाषाओं के वेब आधारित प्लेटफार्म, पोर्टल, विकिपीडिया आदि के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाना आवश्यक है l

प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय भाषा, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की जानी चाहिए l भाषाओं का संवर्धन एवं प्रसार तभी संभव है जब उनका नियमित तौर पर प्रयोग हो, उनका शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग किया जाए, उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार जैसे कदम उठाए जाएं और भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार, अर्हता के मानदंडों में शामिल किया जाए l केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा 10000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली सभी मातृभाषा और भाषाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रलेखन का कार्य करना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना,शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना आदि प्रयास किये जाने की आवश्यकता है l इसी तरह की एक पहल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सन 2013 में 'लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए योजना' शुरू की गई है l

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1. *https://p.dw.com/p/2vObx*
2. *https://en.unesco.org/system/files/private_documents/376719eng.pdf*
3. *https://censusindia.gov.in/2011Census/C-16_25062018_NEW.pdf*
4. *आद्रीजा राय चौधरी, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज 3 मई 2020 l*
5. *भारतीय भाषा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2010*
6. *Ganesh, Devi, India becoming a Graveyard of a language, live mint.*